

FORM NO. III

फॉर्म अहकाम  
(नियम 20)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बमुकाम : नावा जिला नागौर राजस्थान  
बाबुलाल पुत्र सुखाराम जाति मेघवाल वगै. बमुकाम : नावा जिला नागौर राजस्थान  
सा. दांतला गनेला तह. दांतारामगढ़ बमुकाम : नावा जिला नागौर राजस्थान  
गोविन्दा पुत्र चौथूराम जाति मेघवाल वगै.  
सा. जीजोट तह. कृष्णमन शिटी

किस्म मुकदमा : 53 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर 223/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
21.09.2022	<p>वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बोदूराम चौधरी यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 19.10.2022 को पेश हो।</p> <p>19/10/22 पत्रावली पेश हुई। बकील वार अप्यस के द्वारा आज कार्य का स्थगन रखा है। पत्रावली दिनांक 17/11/22 को पेश हो।</p> <p>17/11/22 पत्रावली पेश हुई। कलक्टर उप. पीठासीन अधिकारी महोदय सचकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 19/12/22 को पेश हो।</p> <p>19/12/22 अधिवक्ता वाही उप. पीठासीन अहकाम नही। पुनः पेश करे। किंकि 8/2/23 को पेश हो।</p> <p>8/2/23 पत्रावली पेश हुई। कलक्टर उप. पीठासीन अधिकारी महोदय सचकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 14/3/23 को पेश हो।</p> <p>14/3/23 पत्रावली पेश हुई। बकील वार अप्यस के द्वारा आज कार्य का स्थगन रखा है। पत्रावली दिनांक 10/5/23 को पेश हो।</p>	<p>(ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावा</p>

तारीख हुक्म

नाम  
अदालत  
हुक्म  
के पत्र

10/5/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन  
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से वहार  
वधारे है पत्रावली दिनांक 25/5/23  
को पेश हो।

25/5/23 पत्रावली अदालत "प्रशासन गांवों के संग  
अभियोग 202" केस कोर्ट ग्राम पंचायत  
भारत निर्माण राष्ट्रीय गांधी सेवा केन्द्र जी जोर  
में आज पेश किया गया। आवेदन वादी / प्रतिवादी  
हाजीर / गैर हाजीर। पत्रावली वादी / प्रतिवादी गण  
हाजीर / गैर हाजीर। पत्रावली के माध्य राजीनामा  
नहीं हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक  
27/8/23 को पेश हो।

17/8/23 पत्रावली पेश हुई। कलिल वार अध्यक्ष  
के द्वारा अपील स्थगन रखा  
है। पत्रावली दिनांक 8/9/23  
को पेश हो।

8/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन  
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से वहार  
वधारे है पत्रावली दिनांक 11/12/23  
को पेश हो।

11/12/23 पत्रावली पेश हुई। अश्वि वप्पा वादी व वादी स्थान  
को बाल-बाल श्रावण दिनांक 25/12/23 जिसके अवसर  
भी अनुपस्थित रहे है तथा वादी ने आज दिनांक  
तक प्रतिवादी गण की तलबी भी पेश नहीं की है।  
अतः खादी गण का वाद पत्र अदम सजरी  
व अदम पेटली में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फौजल शुमार होकर नम्बर से कम है  
व काबिल कप्तर हो।

अदालत अधिकारी  
मुख्य (डीडवाना-कुचामन)